

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	हिरालाल हिंगोनिया, चौपलाटा - सीकर	03.08.1958	31/08/2018
2	राकेश कुमार, रामचन्द्र जी का खेडा- बूंदी	01.01.1959	31/12/2018
3	जगदीश प्रसाद मथुरिया, खण्डेवला (खण्डार)- सोमाधोपुर	15.12.1958	31/12/2018
4	रवीन्द्र कुमार मिश्र तुलसर पुरोहितान-बालेसर-जोधपुर	02.10.1958	31/10/2018
5	प्यारेलाल बडसरा, सांखणताल-राजगढ-चूरु	07.02.1959	28/02/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक - (क्र.सं. 01 श्री हिरालाल हिंगोनिया के विरुद्ध 18 सीसीए की कार्यवाही विचाराधीन है।)

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आइ.एस.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 31.8.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अप्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर